

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)


"कार्यालय आदेश"

का०आ०सं०- उ०नि०- 45/2013.....⁸⁷...../रा०, पटना, दिनांक 13-7-2015

वित्त विभाग के पत्रांक- 5411/वि० दिनांक 19.06.2015 के आलोक में उर्दू निदेशालय के अधिनस्थ उच्च वर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी), जिन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अधीन दिये गये वित्तीय उन्नयन के वेतनमान को दिनांक 09.08.1999 से 20.12.2000 के मध्य प्रथम वित्तीय उन्नयन 4500-7000 तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 5000-8000 में देने की स्वीकृति दी जाती है साथ ही दिनांक 20.12.2000 के प्रभाव से पूर्व के स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान 5500-9000 में तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 6500-10500 (अपुनरीक्षित) वेतनमान में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


3. यथा ऊपर वर्णित आदेशानुसार उच्च वर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी) का वेतन निर्धारण किया जायेगा।


(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

ज्ञापांक- उ०नि०- 45/2013.....³⁵⁷...../रा०, पटना, दिनांक 13-7-15


प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

ज्ञापांक- उ०नि०- 45/2013.....³⁵⁷...../रा०, पटना, दिनांक 13-7-2015


प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

ज्ञापांक- उ०नि०- 45/2013.....³⁵⁷...../रा०, पटना, दिनांक 13-7-2015


प्रतिलिपि :- निदेशक-सह-अपर सचिव/राजभाषा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में)/बजट शाखा/सेवापुस्त प्रभारी, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)

ज्ञापांक- उ०नि०- 45/2013.....³⁵⁷...../रा०, पटना, दिनांक 13-7-2015

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।


(इम्तियाज अहमद करीमी)

निदेशक (उर्दू)